विदेशी मुद्रा गतिविधियां

अक्तूबर 2009

i) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999- सेवाओं के आयात के लिए अग्रिम धन-प्रेषण

8 सितंबर 2008 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.15 के अनुसार बैंक गारंटी के बिना सेवाओं के आयात के लिए सभी स्वीकार्य चालू खाता लेनदेनों के लिए अग्रिम विप्रेषण की सीमा को 100,000 अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 500,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य कर दिया गया था।

अब यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक गारंटी के बिना सेवाओं के आयात के लिए सभी स्वीकार्य चालू खाता लेनदेनों के अग्रिम विप्रेषण की सीमा में वद्धि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग/उपक्रम के लिए लागू नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग/उपक्रम के मामले में, 100,000 अमरीकी डॉलर (एक सौ हजार अमरीकी डॉलर) अथवा उसके समतुल्य से अधिक के लिए बैंक गारंटी के बिना सेवाओं के आयात के लिए अग्रिम प्रेषण हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा बनी रहेगी।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.10
दिनांक 5 अक्तूबर 2009]

ii) सेवा आयातकों की ओर से बैंक गारंटी जारी करना

3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 8/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 के विनियम 4(3)(iv) [4 जनवरी 2007 की अधिसूचना सं.फेमा 151/2007-आरबी द्वारा

यथा संशोधित] और 17 नवंबर 2006 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 13 के अनुसार, बैंकों को उपर्युक्त परिपत्र में निर्धारित शर्तों के अधीन 100,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य तक की राशि के लिए निवासी ग्राहक, जो सेवा आयातक है, की ओर से अनिवासी सेवा प्रदाता के पक्ष में गारंटी जारी करने की अनुमति दी गयी है।

2. सेवाओं के आयात के लिए प्रक्रिया (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/राज्य सरकारों के किसी विभाग/उपक्रम के मामलों को छोड़कर) को और सरल बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा गारंटी जारी करने की सीमा को 100,000 अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 500,000 अमरीकी डॉलर कर दिया जाए। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अब, निवासी ग्राहक की ओर से जो कि सेवा आयातक है, अनिवासी सेवा प्रदाता के पक्ष में 500,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है बशर्ते;

(क) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट हो;

(ख) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक उचित समय पर सेवाओं के आयात के दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना सुनिश्चित करता हो; और

(ग) गारंटी किसी निवासी और अनिवासी के बीच करार से उत्पन्न होने वाली प्रत्यक्ष संविदागत देयता की जमानत के लिए हो।

3. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/राज्य सरकारों के किसी विभाग/ उपक्रम के मामले में 100,000 अमरीकी डॉलर (एक सौ हजार अमरीकी डॉलर) अथवा उसकी समतुल्य राशि से अधिक राशि के लिए गारंटी जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.11
दिनांक 5 अक्तूबर 2009]

iii) एक्जिम बैंक की इरिट्रिया राज्य को 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने इरिट्रिया राज्य के साथ 20 अगस्त 2009 को बहुउपयोगी कृषि परियोजनाओं, जिनकी लागत 10 मिलियन डॉलर से अनधिक होगी [प्रस्तावित परियोजनाओं में कृत्रिम गर्भाधान विकास परियोजना, पोल्ट्री वॉटरर एंड फीडर, दूध संग्रहण केंद्रों की स्थापना, दबावयुक्त सिंचाई पद्धति (ड्रीप जलसिंचन पद्धति), सोलर पंप परियोजना तथा मिट्टी सर्वेक्षण तथा भूमि मूल्यांकन उपकरण शामिल हैं] औरबहुउपयोगी शैक्षिक परियोजनाओं जिसकी लागत 10 मिलियन अमरीकी डॉलर से अनधिक होगी [जिसमें 2003-03 में स्थापित सात इरिट्रयिन उच्च शिक्षा संस्थानों अर्थात् नेशनल बोर्ड ऑफ हायर एज्युकेशन के अतिरिक्त इरिट्रियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (इआइटी), सीएसएच, सीबीइ, कॉमसेट, ओरोटा, एचएसी तथा सीएएसएस के लिए पाठ्य सामग्री जिसमें पुस्तकें, लेबॉरेटरी /शैक्षिक उपकरण, केमिकल्स, कंप्यूटर आदि की खरीद शामिल है] के वित्तपोषण के प्रयोजन हेतु भारत से परामर्शी सेवाओं सहित पात्र वस्तुओं तथा सेवाओं, मशीनरी एवं उपकरणों के वित्तपोषण के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर (बीस मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक करार किया है।

[एपी (डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.12
दिनांक 23 अक्तूबर 2009]

iv) डायमंड डॉलर खाता (डीडीएएस)खोलना- संशोधन

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।) बैंकों का ध्यान 13 फरवरी 2009 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.51 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके जरिये प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को, कतिपय शर्तों के अधीन पात्र फर्मों और कंपनियों को डायमंड डॉलर खाता (डीडीए)खोलने तथा रखने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये थे।

2. सरकार ने अब पिछले कार्य-निष्पादन रिकॉर्ड और औसतन वर्षिक पण्यावर्त के मानदंड में छूट देते हुए उसे क्रमश: कम से कम 3 वर्ष से 2 वर्ष और पिछले तीन लाइसेंस वर्षों के दौरान 5 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के वार्षिक पण्यावर्त को 3 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक कर दिया है। इस संबंध में सरकार द्वारा जारी 13 मार्च 2009 की अधिसूचना सं. 96 (आरई-2008)/2004-2009 जारी की गई है।

3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक पात्र फर्मों और कंपनियों को डायमंड डॉलर खाता (डीडीए)खोलने तथा रखने की अनुमति देते समय सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित पात्रता मानदंड को ध्यान में रखें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि भविष्य में विदेश व्यापार नीति के तहत समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों से मार्गदर्शन लें।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.13
दिनांक 29 अक्तूबर 2009]

v) एशियाई समाशोधन संघ व्यवस्था के तहत सहभागी- मालदीव मौद्रिक प्रधिकरण का समावेश

एशियाई समाशोधन संघ के निदेशक मंडल की 16 जून 2009 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित बैठक में, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) को एशियाई समाशोधन संघ का सदस्य बना लिया गया है। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण 1 जनवरी 2010 से एशियाई समाशोधन संघ में परिचालन प्रारंभ करेगा। एशियाई समाशोधन संघ की व्यवस्था के सभी प्रावधान, एशियाई समाशोधन संघ सदस्य देशों पर यथा लागू, जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से छूट न दी गयी हो, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण पर लागू होंगे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक, एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के जरिये लेनदेन करने के लिए क्रियाविधि-[ज्ञापन एसीएम] में निहित प्रावधानों और इस संबंध में 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं.फेमा 14/2000-आरबी में निहित विनियमों एवं इस संबंध में समय-समय पर संशोधित विनियमों का अनुपालन करें।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.14
दिनांक 30 अक्तूबर 2009]